संख्या-1310/2025/1095/22-2-2024-17(92)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2025

विषय:- आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम प्रकाश पुत्र श्री प्रीतम, निवासी जनपद-उन्नाव की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-20370/प्रो0अनु0(2)-240/सला0समिति/(एम-दिनांक 01.12.2022, दि0 08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम प्रकाश पुत्र श्री प्रीतम, ग्राम-मेहरबान खेडा मजरा मेथी टीकुर,थाना-माखी,जनपद-उन्नाव का निवासी है। दोनो पक्षों के मध्य चली आ रही पुरानी रंजिश के कारण दिनाक 11.02.2001 की रात्रि लगभग 9:00 बजे बंदी ने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी व कुल्हाडी से 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-228/2001 में भा0द0वि0 की धारा 147,148,307/149,302/149,452,404 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय स्पेशल जज ई0सी0एक्ट, उन्नाव के आदेश दिनाक 18.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 10.11.2022 तक 21 वर्ष, 07 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष, 01 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की दिनांक 10.11.2022 को बन्दी की आयु 54 वर्ष 10 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समयपूर्व रिहाई हेतु संस्तुति नही की गयी।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 11.02.2001 की रात्रि लगभग 9:00 बजे बंदी ने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी व कुल्हाडी से 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समवपूर्व रिहाई हेतु संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राम प्रकाश पुत्र श्री प्रीतम को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम प्रकाश (बन्दी सं0-15208) पुत्र श्री प्रीतम, निवासी जनपद-उन्नाव की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1310/2025/1095(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

2- अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) डायरी संख्या-5048/2022 जीतन कुर्मी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।